

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 429/2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री रौनक सिंघवी।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री संदीप पाठक।

:: आदेश ::

31.10.2018

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी को निवेदन अनुसार प्रार्थना पत्र
अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब प्रस्तुत
करने हेतु समय प्रदान किया जाता है।

पत्रावली चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी /—